मुख्यमंत्री ने की सहायता पैकेज की घोषणा

सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दो माह का एडवांस भुगतान

प्रति मजदूर 1000 रुपए की सहायता, जनजातियों परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि

मध्यान्ह भोजन के लिये 65 लाख 91 हजार विद्यार्थियों के खाते में 156 करोड़ की राशि

कार्यालय प्रतिनिधि,भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आयुक्तों, आई.जी., जिला कलेक्टरों, एस.पी., सीएमएचओ, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका, सीएमओ से कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के आह्वान के संबंध में चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित वर्गों के लिये सहायता पैकेज की घोषणा की। उन्होने कहा कि प्रदेश के 46 लाख पेंशनर्स को 600 रु. प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपए 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का एडवांस भुगतान किया जायेगा। संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रूपये की सहायता प्रति मजदूर 1000 रुपए के हिसाब से उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार 2.20 लाख राशि सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि दो हजार रुपए भेजी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय हॉस्पिटल/मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क इलाज किया ही जायेगा साथ-साथ चिन्हित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज/प्राइवेट हॉस्पिटल में भी निःशुल्क इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। ग्राम पंचायतों में पंच-परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध है। इसे कोरोना के नियंत्रण तथा लॉकडाउन के कारण जहाँ भी लोगों को भोजन/आश्रय की व्यवस्था करना हो खर्च की अनुमति प्रदान की जा रही है। स्कूल बंद होने से मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अप्रैल 2020 तक का खाद्यान्न रिलीज किया जा चुका है। इसे अब पी.डी.एस. अन्तर्गत राशन दुकानों को उपलब्ध कराया जायेगा इसके फलस्वरूप कुल 65 लाख 91 हजार विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की 156 करोड़ 15 लाख रूपए की राशि का वितरण किया जायेगा - प्राथमिक शालाओं के 60.81 लाख विद्यार्थियों को 155 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 94.25 करोड़ रुपये और माध्यमिक शाला के 26.68 लाख विद्यार्थियों को 232 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 61.90 करोड़ दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी है कि लोग अपने घरों में रहें। भीड़-भाड़ न हो। सभी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थानों को भी आम जनता के लिये बंद रखा जायेगा। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये ककि वे स्थानीय धर्म गुरूओं से चर्चा करें।

किसानों को सुविधाएं: फसल कटाई में लगे मजदूरों एवं हार्वेस्टर्स को आवश्यक सुविधा प्रदान की जाये ताकि फसल कटाई प्रभावित ना हों। हार्वेस्टर्स कभी भी न रोके जाये। किसानों को मंडी में एस.एम.एस. से बुलाने एवं उपार्जन केंद्रों की स्थापना तथा मंडियों की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों का कड़ाई से पालन हो।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा: पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति अबाधित रखी जावे। आइसोलेशन वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।

कलेक्टरों को पूरी छूट

जिला कलेक्टरों को कोरोना की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की पूरी छूट होगी। वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल उचित निर्णय लें। राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करायेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश

- मेले आदि का आयोजन भी अगले 21 दिनों तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- जिन मरीजों को सामान्य सर्दी खांसी और बुखार हो उन्हें जांच के बाद समाधान होने पर घर में ही दवा पहुंचाने के प्रयास करें। कलेक्टर इस कार्य के लिये मोहल्ले या वार्ड की स्वयंसेवी और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आगे मदद के लिये प्रेरित करें।
- सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- दवाई की दुकान, किराने की दुकान एवं फल सब्जियों की दुकानों के सामने नगर निगम एवं नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पेंट तथा चूने से निशान लगाये जाए, जिससे खरीदी करने वाले व्यक्ति आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रख सके।
- प्रदेश में माल परिवहन बिना बाधित हुए चलता रहें ताकि वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आवे।
- सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि अत्यावश्यक वस्तु एवं दैनिक उपयोगी एवं मार्केट में दवाई की सामान्य कीमत पर मिल सके। अधिक कीमतें वसूल करने की शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्यवाही की जावे।
- समस्त संभागीय आयुक्तों का यह दायित्व है कि वे अपने सभी जिलों में समन्वय रखें। यदि आपूर्ति तथा लॉजिस्टिक्स की कोई समस्या है तो तत्काल अवगत करायें।

अब ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज अटका मेट्रो से एक साल में नहीं मिली एनओसी

दो साल से चल रही तैयारी

जागरण प्रतिनिधि, भोपाल

शहर का एक और प्रोजेक्ट मेट्रो के कारण अटक गया है। ऐशबाग फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए एक साल में भी मप्र मेट्रो रेल कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिल पाई है। ऐसे में करीब दो साल बाद भी आरओबी का काम जमीन पर नहीं उतर पाया है जबकि एक साल में इसे आकार देने का लक्ष्य रखा गया था। ब्रिज खटीक कॉलोनी से शुरू होकर ऐशबाग की बंद रेलवे क्रॉसिंग से लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी के सामने स्थित मंदिर के पास तक बनाया जाना है। तीसरी रेलवे लाइन के काम के कारण पिछले दो साल से ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग बंद है। यह करीब 425 मीटर लंबा होगा। इस टू लेन ब्रिज की लागत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस ब्रिज के निर्माण में पीडब्ल्यूडी और रेलवे के साथ मेट्रो रेल कंपनी के भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। लोक निर्माण विभाग इसकी डीपीआर बना चुका है। कुछ हिस्सा ट्रेक के ऊपर बनेगा। रेलवे से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से नहीं मिल पा रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो कॉर्पोरेशन ने साफ कह दिया है कि एलिवेटेड रूट बनने के बाद ही आरओबी के लिए एनओसी दी जाएगी। दिक्कत यह है कि रूट बनने में ही एक-दो साल लग जाएगा। ऐसे में तब तक आरओबी नहीं बन पाएगा। इसके मद्देनजर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मेट्रो से अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं।

डिजाइन में बदलाव: तत्कालीन मंत्री और स्थानीय विश्वास सारंग ने पीडब्ल्यूडी, रेलवे और मेट्रो कंपनी के अधिकारियों के साथ काफी पहले प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया था। उन्हें बताया गया कि पहले चरण में एम्स से करोंद तक मेट्रो का रूट बनाया जाएगा। रेलवे ओवरब्रिज की मौजूदा डिजाइन में मेट्रो की जमीन आ रही है। अब इसमें बदलाव करना होगा। रेलवे की अतिरिक्त भूमि के हिसाब से नया डिजाइन बनाया जाएगा। मेट्रो और रेलवे दोनों की हरी झंडी के बाद इसका टेंडर जारी होगा। बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी और मेट्रो के बीच ब्रिज की डिजाइन को लेकर मौखिक सहमति बन चुकी है। पर अभी एनओसी नहीं मिली है।

एक लाख आबादी को मिलेगा फायदा: बरखेड़ी अंडरब्रिज एप्रोच रोड पर अतिक्रमण होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पाता है। नतीजा एशबाग की खटीक कॉलोनी और आसपास की पूरी आबादी रोजाना परेशान होती है। ऐशबाग, बाग उमराव दुल्हा और आसपास के क्षेत्र में भीतरी सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चलते हैं। इस ब्रिज के बन जाने से एशबाग और नजदीक के क्षेत्र की करीब एक लाख आबादी को सीधा फायदा होगा।

बरखेड़ी रेलवे फाटक की सड़क भी बनेगी: बरखेड़ी रेलवे फाटक की एप्रोच रोड पर बनी 500 झुग्गियां हटाई जा चुकी हैं। कुछ मामलों में न्यायालय के स्थगन हैं। यह बाधाएं दूर होने पर बरखेड़ी रेलवे फाटक की एप्रोच रोड भी बनेगी। यह जमीन रेलवे के अधीन होने के कारण वो ही इसका निर्माण करेगा।

बंदियों को परिजनों को फोन पर बात करने की मिली छूट

भोपाल (नप्र)। महानिदेशक जेल संजय चौधरी ने विचाराधीन बंदियों और एनडीपीएस एक्ट के बंदियों के परिजनों को इनकमिंग फोन काल पर बात करने की छूट प्रदान की है। जारी आदेश में चौधरी ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से जेलों में निरुद्ध बंदियों को उनके परिजनों, निकट संबंधियों एवं मित्रों से की जाने वाली मुलाकात प्रतिबंधित की गई है। बंदियों को इनकमिंग काल पर फोन पर भी बात करने की इजाजत दी गई है। अब जेलों में बंद एनडीपीएस एक्ट और समस्त विचाराधीन बंदियों को उनके परिजनों से दूरभाष पर बात करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

हमीदिया कराया खाली, सिर्फ कोरोना मरीजों का होगा इलाज, टेस्ट भी शुरू

600 बिस्तर किए गए रिजर्व, कॉल सेंटर पर पहुंचे 5 हजार कॉल

भोपाल (जासं)। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। इसी के तहत राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल हमीदिया कोरोना ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यहां करीब 600 बिस्तरों का आरक्षण सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए किया गया है। शासन से मिली जानकारी अनुसार कोरोना मरीजों में वृद्धि हो और बाद में अव्यवस्था फैले, इससे पहले ही हम तैयारी में जुट गए हैं। जहां एक तरफ बीएमएचआरसी को राज्य स्तरीय कोरोना अस्पताल के रूप में रिजर्व कर दिया गया है। वहीं अब हमीदिया अस्पताल भी इसी श्रेणी में रिजर्व कर लिया गया है।

वायरोलॉजी लैब में लगेगा टेस्ट

सरकार ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब को मान्यता दे दी है। अब यहां कोरोना कोविड-19 के सैंपल को जांचा जा सकेगा। इस मामले में हमीदिया अस्पताल अधीक्षक डॉ. एके श्रीवास्तव ने बताया कि सैंपल जांच के लिए सीएमएचओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सीएमएचओ ऑफिस से जो सैंपल यहां भेजे जाएंगे, उनकी जांच होगी। आपको बता दें कि अभी तक भोपाल एम्स में जांच की सुविधा उपलब्ध थी। अब दो अस्पतालों में यह जांच हो सकेगी।

मार्च के कारण जरूरत पड़ने पर बुलाए जाएंगे पुलिसकर्मी

नगर प्रतिनिधि, भोपाल

एडीजी सीआईडी राजीव टंडन ने कहा कि 55 साल की उम्र पार करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। जिन महिला कर्मचारियों के बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें भी 31 मार्च तक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने बाकी कर्मचारियों को तैयार रहने को कहा है, क्योंकि मार्च महीना होने के कारण जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है।

एडीजी ने जारी आदेश में कहा कि देश में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसमें यह आवश्यक हो गया है कि ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हों। सुरक्षा एवं बचाव के मद्देनजर यह व्यवस्था बनाई जाती है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की उम्र 55 साल से अधिक है, ऐसी महिला कर्मचारी जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, ऐसे कर्मचारी जिनकी पांच सालों में कैंसर, हृदय रोग, टीवी जैसी बीमारियों का आपरेशन हुआ है, उन्हें 31 मार्च तक कार्यालय आने में छूट रहेगी। चूंकि मार्च का महीना वित्तीय वर्ष की समाप्ति का होता है, इसलिए लेखा शाखा के सभी कर्मचारी जिनका कार्य महत्वपूर्ण है, वे सभी आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इससे समय पर बिल कोषालय में पेश किए जा सकेंगे। घर पर रहने वाले सभी कर्मचारी फोन और मोबाइल चालू रखेंगे। बुलाए जाने पर तत्काल दफ्तर में उपस्थित होंगे। फोन नहीं उठाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बागी पूर्व विधायकों की कोरोना की जांच की जाए

भोपाल, मुप्र। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों की कोरोना जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इन पूर्व विधायकों को 14 अप्रैल तक घरों में सीमित रहने के लिए निर्देशित करें। गौरतलब है कि ये बागी पूर्व विधायक करीब 15 दिन बैंगलुरु के एक रिसॉर्ट में ठहरे थे। कर्नाटक में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इन पूर्व विधायकों ने बैंगलुरु में ही कोरोना का टेस्ट कराया था, जिसके आधार पर वे मप्र में आ गए। यहां उनका कोरोना का टेस्ट नहीं किया गया।

कांग्रेस विधायक ने 25, भाजपा विधायक ने 21 लाख दान दिए

भोपाल, मुप्र। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए प्रदेश के विधायक सामने आ रहे हैं। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए 25 लाख रुपए दान देने का ऐलान किया है। यह राशि छतरपुर को स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च की जाएगी। रतलाम से भाजपा विधायक चेतन कश्यप ने गरीबों की सहायता के लिए 21 लाख रुपए दान दिए हैं। यह राशि चेतन कश्यत फाउंडेशन की ओर से दी गई है।

पटवारी ने 2 महीने का वेतन दिया: पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने संकट के इस दौर में गरीबों के राशन की मदद के लिए दो महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप सभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। भाजपा विधायक कुंवरजी कोठार ने भी अपना एक माह का मूल वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन्होंने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखा है।

राकेश सिंह ने 20 लाख दिए

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 20 लाख रुपए की मदद की है। उन्होंने यह राशि जबलपुर जिला प्रशासन को थर्मल इमेजिंग स्कैनर और मास्क खरीदने के लिए दी गई है।

कर्फ्यू में फंसे शिवपुरी के 17 युवा, खाने की सामग्री भी खत्म

सोशल मीडिया में वायरल हुई जानकारी

भोपाल (शसं)। कोरोना वायरस को लेकर राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बाद से न तो यहां से कोई बाहर जा पा रहा है और न ही कोई अन्य जिले से शहर में प्रवेश कर पा रहा है। ऐसे में दूसरे जिलों से आए लोग फंस गए हैं। इनके पास राशन भी खत्म हो गया है। अब ये घर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है। परेशान युवा एक टाइम का खाना खा कर दिन काट रहे थे, लेकिन बुधवार को इनके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में सोशल मीडिया में जब इनके बारे में जानकारी वायरल हुई तब कनिष्ठ आपूर्ति निरीक्षक प्रताप सिंह और समाजसेवी ललित चतुर्वेदी ने इन्हें न सिर्फ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई, बल्कि इन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।

यह है मामला : शिवपुरी के 17 लड़के आई शाइन इंडिया मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं। पिछले दिनों अचानक हुए जनता कर्फ्यू फिर लॉकडाउन के बाद कंपनी ने दफ्तर बंद कर दिया। लड़के घर जा पाते इसके पहले ही बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। युवाओं को कंपनी ने वेतन भी नहीं दिया। ऐसे में इनके पास जो खाद्य सामग्री थी, उससे सिर्फ एक टाइम का खाना ही बन पा रहा था। परेशान युवकों के संबंध में किसी ने सोशल मीडिया में जानकारी डाली। इसके बाद यह मामला वायरल हो गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रताप सिंह को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने समाजसेवी ललित चतुर्वेदी को लेकर उन युवाओं को ढूंढा और उनके घर पहुंचे। यहां पर अलग-अलग 17 युवाओं से बात की। इसके बाद ऑनडोर से खाद्य सामग्री लेकर युवाओं को दी गई। कनिष्ठ आपूर्ति निरीक्षक ने कंपनी के एचआर मैनेजर को फटकार लगाते हुए सभी इंतजाम करने के लिए कहा।

हमे घर जाना है, परेशान हैं : चंदन सागी और दीपक रजक ने बताया कि उन्हें घर जाना है। कर्फ्यू लगा हुआ है। उन्हें डर लग रहा है। घर से बार-बार फोन आ रहे हैं। हमारे पास खाने तक की सामग्री खत्म हो गई थी। कंपनी के लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हमने पुलिस में भी आवेदन दिया है।

सरकारी विभाग चार दिन बाद से होने लगेंगे खाली, नही हुआ कोई निर्णय

31 मार्च से 31 दिसंबर के बीच दस हजार से अधिक कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त, मंत्रालय में ज्यादा रहेगा असर

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

प्रदेश के सरकारी विभागों में चार दिन बाद 31 मार्च से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आगामी 31 दिसंबर तक दस हजार से ज्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं, सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने या अन्य प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से सबसे ज्यादा असर मंत्रालय के कामकाज पर पड़ेगा।

दरअसल अप्रैल 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाने आदेश दिया था। इसके विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की डबल बेंच सुनवाई कर रही थी। इसमें एम नागराज बनाम भारत संघ प्रकरण को आधार बनाकर सुनवाई की जा रही थी। इसी बीच एम नागराज प्रकरण को चुनौती दी गई। जिससे डबल बेंच ने इस मामले को पांच सदस्यीय खंडपीठ में भेज दिया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने पिछले साल 26 सितंबर के निर्णय में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है। पीठ के इस फैसले के बाद एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में चला गया। जिसमें मप्र हाईकोर्ट के दिए निर्णय को लेकर सुनवाई की जा रही है। इसी के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि मप्र में पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। लेकिन यह निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। इसी बीच 31 मार्च 2020 से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। इसे लेकर मंत्रालय समेत कई प्रमुख विभागों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। हालांकि यह लोग दो साल पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते, लेकिन शिवराज सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। यह अवधि 31 मार्च 2020 को पूरी हो रही है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की संख्या अधिक है, जिनकी जवाबदारी अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती है।

अब तक नहीं है कोई ठोस तैयारी: वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की स्थिति राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रकार की कोई ठोस तैयारी भी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का आरक्षण का मामला होने से कर्मचारियों की पदोन्नति शुरू नहीं हो पाई, तो नई भर्ती करने का रास्ता भी साफ नहीं है।

पदोन्नति पर है रोक: मध्यप्रदेश सरकार के साढ़े चार लाख से अधिक शासकीय कर्मचारी हैं। इसी साल 1.84 लाख अध्यापक भी नियमित किए गए हैं। प्रदेश में नई भर्ती नहीं हो रही है और प्रमोशन में भी रोक लगी है।

तेजी से कम होंगे कर्मचारी: 31 मार्च 2020 से जैसे ही सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू होगा, तेजी से अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या घटेगी। यह संख्या पहले ही चरण में पंद्रह हजार तक पहुंच सकती है। खासकर मंत्रालय और विभाग प्रमुख कार्यालय में इसका असर देखने को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले मंत्रालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची में उप सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड 1 शामिल हैं।

बगैर पदोन्नति हो जाएंगे सेवानिवृत्त: 31 मार्च से जो अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, इनमें से ज्यादातर लोग प्रमोशन पाए बगैर ही सेवानिवृत्त जाएंगे। सरकार ने पदोन्नति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। जिसमें कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन देने की अपील सुप्रीम कोर्ट में मंजूर नहीं हो पाई।

संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी : बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को देखते हुए सरकार वित्त विभाग में खजाने पर आने वाले बोझ से बचने के लिए माथापच्ची भी कर रही है। विभाग ने तत्कालिक तौर पर रिक्त होने वाले पदों को संविदा नियुक्तियों से भरने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार का मानना है कि संविदा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद तत्काल उन्हें मिलने वाला फंड नहीं देना पड़ेगा। इससे खजाने पर पड़ने वाला बोझ कुछ कम होगा। इस राशि को सरकार अन्य जरूरी कार्यों में खर्च कर सकेगी।

पेंशन भी सरकार के लिए बड़ा बोझ : राज्य सरकार के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की पेंशन बड़ा बोझ है। सरकार को रिटायर कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर प्रतिवर्ष 13 हजार करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते हैं।

एक नजर

- राज्य में हर साल दस हजार सरकारी कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त।
- अप्रैल 2020 से रिटायरमेंट शुरू हो रहा है।
- इसमें 12 हजार से अधिक पद खाली होंगे।
- इसके अगले साल 2021 से रिटायरमेंट का आंकड़ा बढ़ जाएगा।
- जितने लोग रिटायर हो रहे हैं सरकार उस अनुपात में नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पा रही है।

दसवीं-बारहवीं का एक अप्रैल से भी शुरू नहीं हो पाएगा मूल्यांकन

माशिमं ने जारी किए आदेश

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षाओं के पहले चरण का मूल्यांकन कार्य अब एक अप्रैल से भी शुरू हो पाएगा। माशिमं ने इसके आदेश जारी कर दिए है।

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं, व्यवसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं दो मार्च से शुरू हुई थी। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों के सामूहिक रुप से एकत्रित होने से उक्त बीमारी के खतरे की संभावना बनी हुई है। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में 20 मार्च से 31 मार्च के बीच आयोजित होने वाली मंडल की समस्त परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई थीं। मंडल द्वारा स्थगित परीक्षाओं के कार्यक्रम की तिथियां अलग से बाद में घोषित की जाएगी। मंडल की दसवीं-बारहवीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 21 मार्च से शुरू होने वाला था। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मूल्यांकन कार्य भी माशिमं ने 31 मार्च तक स्थगित कर दिया था। गत दिवस मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन देश में घोषित करने के बाद अब मूल्यांकन एक अप्रैल से शुरू नहीं हो सकेगा। मंडल अधिकारियों ने मूल्यांकन के पहले चरण को 15 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया है। पंद्रह अप्रैल के बाद स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा व मूल्यांकन की तिथि घोषित की जाएगी।